

प्रेस विज्ञप्ति

सोशल मीडिया सहारनपुर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये रात्रि में गाडी खराब होने की वजह से रास्ते में फंसे परिवार को पुलिस सहायता उपलब्ध कराते हुये गाडी ठीक करवाकर सकुशल गंतव्य हेतु कराया रवाना:-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.07.2021 की रात्रि करीब 11:00 बजे श्री अतुल भारद्वाज पुत्र विजय कुमार भारद्वाज मोबाइल नम्बर- 9888746002, निवासी लुधियाना पंजाब जो अपने परिवार के साथ सूरतगढ जिला गंगानगर राजस्थान से अपने दादा जी की अस्थियां लेकर हरिद्वार विसर्जन करने जा रहे थे रास्ते में सहारनपुर, चमारीखेडा टोल प्लाजा के पास उनकी गाडी खराब हो गई जिनके द्वारा ट्विटर पर सहायता मांगी गई थी। सोशल मीडिया सेल सहारनपुर द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये थाना फतेहपुर पुलिस को सूचित किया गया। थाना फतेहपुर पर नियुक्त वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा मय टीम मौके पर पहुंचकर गाडी मकैनिक को बुलाकर गाडी को ठीक कराया गया तथा उनको सकुशल गाडी में बैठाकर उनके गंतव्य स्थान के लिये रवाना किया गया। उनके द्वारा सहारनपुर पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा करतें हुये धन्यवाद किया गया।



प्रैस नोट

आज दिनांक 15/07/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना को०देहात जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे अपराध की रोकथाम हेतू टीम उ श्री ०नि०विरेन्द्र राणा मय का ०७९३ विशेष कुमार व का० १७५९ सावन कुमार थाना को० देहात गठित की गयी। गठित टीम द्वारा अभि० राजू उर्फ रियाज अहमद पुत्र अब्दुल हमीद नि० रमजानपुरा थाना को० देहात स०पुर को ५२० ग्राम गान्जा के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०स० ३२१/२१ धारा ८/२० NDPS Act पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त के अभि० राजू उर्फ रियाज अहमद पुत्र अब्दुल हमीद नि० रमजानपुरा थाना को० देहात स०पुर को मुखबिर की सूचना पर मढ तिराहे से मय ५२० ग्राम गान्जा के साथ दिनांक १५/०७/२०२१ को समय करीब १०.३५ बजे पकड लिया गया।

बरामदगी का विवरण निम्नवत हैं :-

१- ५२० ग्राम गान्जा

अभि० राजू उर्फ रियाज अहमद पुत्र अब्दुल हमीद नि० उपरोक्त का आपराधिक इतिहास निम्नवत है।

- (१) मु०अ०सं० ३३७/२०१५ धारा १३ जी०एक्ट सद्दा
- (२) मु०अ०सं० २००/२०२० धारा १३ जी०एक्ट सद्दा
- (३) मु०अ०सं० ३६०/२०२० धारा १३ जी०एक्ट सद्दा
- (४) मु०अ०सं० ३७/२०२१ धारा १३ जी०एक्ट सद्दा
- (५) मु०अ०सं० ४०७/२०१९ धारा १३ जी०एक्ट सद्दा
- (६) मु०अ०सं० १९९/२०१९ धारा १३ जी०एक्ट सद्दा
- (७) ३ यू०पी० गुण्डा एक्ट वर्ष २०२० में
- (८) ११० जी वर्ष २०२० में
- (९) मु०अ०सं० ३२१/२१ धारा ८/२० NDPS Act

गिरफ्तार करने वाली टीम

१. श्री ०नि०विरेन्द्र राणा थाना को देहात सहारनपुर०
२. का ०७९३ विशेष कुमार थाना को देहात सहारनपुर०
३. का० १७५९ सावन कुमार थाना को०देहात सहारनपुर

प्रैस नोट

आज दिनांक 15/07/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना को०देहात जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे अपराध की रोकथाम हेतू टीम उनन्द किशोर ०नि०श्री उ ०नि० राकेश कुमार 777 ०रोबिन राठी व का 258 ०शर्मा मय हमराह काथाना को० देहात गठित की गयी। गठित टीम द्वारा अभि० ऋषिपाल पुत्र हरिसिंह नि० दाबकी जुनारदार थाना को० देहात स०पुर को 150 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०स० 322/21 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त के अभि० ऋषिपाल पुत्र हरिसिंह नि० दाबकी जुनारदार थाना को० देहात स०पुर को मुखबिर की सूचना पर ग्राम देवला में सूमली तिराहे पर मैन सड़क पर से मय 150 ग्राम चरस के साथ दिनांक 15/07/2021 को समय करीब 10.50 बजे पकड लिया गया।

बरामदगी का विवरण निम्नवत हैं -:

अभि० के पास से 150 ग्राम चरस बरामद हुआ
अभि ऋषिपाल पुत्र हरिसिंह नि० दाबकी जुनारदार थाना को० देहात स०पुर
का आपराधिक इतिहास निम्नवत है।

- (1) मु०अ०सं० 198/2020 धारा 8/15 NDPS Act
- (2) मु०अ०सं० 584/2018 धारा 13 जी०एक्ट सट्टा
- (3) मु०अ०सं० 403/2012 धारा 60 EX Act
- (4) मु०अ०सं० 453/2012 धारा 110 जी०
- (5) मु०अ०सं० 322/21 धारा 8/20 NDPS Act

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ श्री ०नि०नन्दकिशोर शर्मा थाना को देहात सहारनपुर०
2. का 0258 रोबिन राठी कुमार थाना को देहात सहारनपुर०
3. का 0 777 राकेश कुमार थाना को०देहात सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 15-07-2021

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध देशी शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 14.07.2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा कस्बा सुल्तानपुर से अभि० फिरोज पुत्र शाहिद निवासी मौहल्ला मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर को 20 पक्के अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 230/21 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस व नाजायज तलवार सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 14.07.2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा ग्राम नारायणपुर से अभि० अर्जुन पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम नारायणपुर थाना चिलकाना सहारनपुर को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक नाजायज तलवार सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 231/21, 232/21 धारा 4/25 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 14.07.2021 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा काशीराम तिराहा से अभि० सोनी कुमार पुत्र रतनलाल निवासी मनोहरपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर को एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु०अ०सं० 317/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को०नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 14.07.2021 को थाना को०नगर पुलिस द्वारा निकट राधा स्वामी आश्रम से अभि० गोविन्द शर्मा पुत्र लोकराम निवासी ब्रह्मनगर थाना तारानगर जिला चुरू राजस्थान को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर पर मु०अ०सं० 151/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल
सहारनपुर।